गोपनीय
प्रति संख्या .....

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक :एफ 17(9)खा.वि./न्याय/2012/ जयपुर,दिनांक: 16.01.2015

मंत्रिमण्डल ज्ञापन

विषयः–राज्य की उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से अन्नपूर्णा भण्डार योजना प्रारंभ करने बाबत।

1. यह है कि माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक–निजी सहभागिता के माध्यम से जनसाधारण को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की मल्टीब्रॉण्ड उपभोक्ता वस्तुएँ उचित एवं प्रतिस्पर्द्धी दरों पर उपलब्ध कराने हेतु 'अन्नपूर्णा भण्डार योजना' अवधारित की गई। विस्तृत योजना परिशिष्ट–01 पर संलग्न है।
2. यह है कि राज्य में वर्तमान में निजी क्षेत्र की 21024 व सहकारी क्षेत्र की 4518 इस प्रकार कुल 25542 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 5 के द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत जारी राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के प्रावधानानुसार इन दुकानों पर पूर्व में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियंत्रित वस्तुऐं; यथा, खाद्यान्न, चीनी तथा केरोसीन ही विक्रय की जा रहीं है। अन्य उपभोक्ता वस्तुऐं नियंत्रित (PDS) वस्तुओं के अन्तर्गत नहीं होने के कारण, राशन कार्ड पर वितरण नहीं करायी जा रही है।
3. यह है कि अन्नपूर्णा योजना के क्रियान्वयन के आलोक में विभाग द्वारा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं जिनको उपरोक्त वर्णित आदेश, 1976 में 'अन्य आवश्यक पदार्थ' के रूप में परिभाषित किया गया है, के समरूप वस्तुओं को उचित मूल्य दुकानों से बिना राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवता एवं बाजार भाव से यथासंभव कम दरों पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 20 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.09.2014 को निर्देश जारी किये गये है। (परिशिष्ट–02 पर संलग्न है)
4. यह है कि इन निर्देशों में उचित मूल्य दुकानदारों को आदेश 1976 के खण्ड 3(4) के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र में आवश्यक निर्देश जारी कर, उन्हें आदेश के खण्ड 2(Q) में अंकित अन्य वस्तुओं के समरूप वस्तुओं को स्टॉक में रखने एवं विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त निर्देश से अधिकृत उचित मूल्य दुकानदार राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उत्पादकों, थोक विक्रेताओं तथा मल्टी उत्पाद वितरकों से ब्राण्डेड, पैक्ड उपभोक्ता वस्तुएँ क्रय कर उचित मूल्य दुकानों पर विक्रय कर सकेंगे। इन उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री का राशनकार्ड में इन्द्राज करना आवश्यक नहीं होगा।
5. यह है कि प्रथम चरण में 5000 दुकानों को 'अन्नपूर्णा भण्डार' में परिवर्द्धित कर संचालित किये जाने हेतु मल्टीब्राण्ड रिटेल आपूर्तिकर्ता फर्मो का चयन–निर्धारण रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) से किया जाना है। प्रथम चरण में पायलट आधार पर उक्त योजना संभाग की न्यूनतम 500 चिन्हित उचित

16/01/2015

मूल्य दुकानों पर लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के कियान्वयन के क्रम में संभागवार उचित मूल्य दुकान चयन की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:–

क्र सं	नाम जिला/ संभाग	लक्ष्य	उचित मूल्य दुकानों की संख्या		स्वयं की दुकानों की संख्या	किराये की दुकानों की संख्या	कुल	क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित चरण
			जीएसएस/ लेम्पस/ केविएसएस	अन्य				
1	उदयपुर	1000	257	557	719	95	814	2
2	जयपुर	1000	128	521	511	138	649	2
3	जोधपुर	1000	399	608	809	198	1007	2
4	कोटा	500	66	363	413	16	429	1
5	बीकानेर	500	64	416	447	33	480	1
6	भरतपुर	500	61	315	349	27	376	1
7	अजमेर	500	177	209	339	47	386	1
योग		5000	1152	2989	3587	554	4141	

6. प्रारंभ में छः माह हेतु पायलट आधारित योजना के संचालन, अपेक्षित–आवश्यक अनुबंध किये जाने तथा तत्सबंधी शर्तो के निर्धारण, व्यवस्थागत सुविधा की दृष्टि से आपूर्तिकर्ता हेतु जिले का निर्धारण/आबंटन (आपूर्ति हेतु सम्पूर्ण जिले का आबंटन किया जाना है, न कि जिले के किसी भाग अथवा क्षेत्र विशेष का) किया जाना, उचित मूल्य दुकानदारों को देय कमीशन, उपभोक्ता को मिलने वाले लाभ के साथ ही अन्य समस्त संबंधित कार्यो के लिये राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। पायलट आधारित योजना के सभी पहलुओं की आद्योपान्त समीक्षा एवं गुणावगुण के अध्ययन के पश्चात ही उक्त योजना को सम्पूर्ण राज्य में लागू किया जाना प्रस्तावित है।
7. इस ज्ञापन में वित्त विभाग की टिप्पणी अपेक्षित नही है।
8. इस ज्ञापन पर विधि विभाग से विधिक्षा/टिप्पणी अपेक्षित नही है।
9. इस ज्ञापन पर राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं कार्मिक विभाग की राय अपेक्षित नही हैं।
10. इस ज्ञापन में प्रस्तावित बिन्दुओं का मुख्य सचिव महोदय, माननीय खाद्य मंत्री महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। जो परिशिष्ट–03 पर संलग्न है।
11. आज्ञापक कियान्वयन सूची परिशिष्ट–4 पर संलग्न है।

अतः ज्ञापन मंत्रिमण्डल के अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

16/12/15

(डॉ0 सुबोध अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

अन्नपूर्णा भण्डार योजना

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक–निजी सहभागिता के माध्यम से जनसाधारण को, उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की मल्टीब्रॉण्ड उपभोक्ता वस्तुएँ उचित एवं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध कराने की एक योजना अवधारित की गई। इस योजना को अन्नपूर्णा भण्डार योजना नाम दिया गया है।

2. राज्य में वर्तमान में निजी क्षेत्र की 21024 व सहकारी क्षेत्र की 4518 इस प्रकार कुल 25542 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत है। इन दुकानों पर पूर्व में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियंत्रित वस्तुऐं यथा चीनी, केरोसीन तथा गेहूँ ही विक्रय की जा रहीं है।

3. दुकानों के चयन का मानदण्डः– दुकानों के चयन का मानदण्ड व दिशा–निर्देश निर्धारित किए गए हैं जो कि निम्नानुसार हैंः–

(i) उचित मूल्य दुकान डीलर की स्वयं की होनी चाहिए।
(ii) दुकान का न्यूनतम क्षेत्रफल 10'X20' (200 वर्ग फीट) होना चाहिए।
(iii) दुकान कम से कम 30 फीट रोड़ पर खुलती हुई होनी चाहिए।
(iv) सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
(v) इस मॉडल को स्वीकार करने के लिए उचित मूल्य दुकानदार की सहमति होनी चाहिए।

नोटः–बिन्दु सं. (1) के अनुसार डीलर की स्वयं की दुकान न होने पर किराये की दुकान उपरोक्त वर्णित मापदण्डों के आधार पर चिन्हित की जा सकती है बशर्ते कि दुकान मालिक की लिखित सहमति हो।

4. राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम, मल्टीब्रॉण्ड उत्पादकों/आपूर्तिकताओं एवं उचित मूल्य दुकानदारों के मध्य आपसी सहमति से अनुबंध किया जायेगा। इसके लिये विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकानों को आवश्यक निर्देश जारी किये जायेगे।

5. अन्नपूर्णा भण्डार को देय कमीशन का निर्धारण राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 के प्रस्तावानुसार राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त किया जावेगा। बाजार मूल्य की तुलना में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली रियायती दर निगम द्वारा मल्टीब्राण्ड उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं से आपसी Negotiations के आधार पर निर्धारित की जावेगी। उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट की समयबद्ध समीक्षा की जावेगी। चयनित दुकान पर निगम एवं आपूर्तिकर्ता फर्म के द्वारा अनुबंधानुसार वस्तुओं की समयबद्ध आपूर्ति की जावेगी।

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक :एफ 17(9)खा.वि./न्याय/2012/ जयपुर,दिनांक: 16.01.2015

आज्ञापक–क्रियान्वयन सूची

क्र. सं.	अपेक्षित निर्णयों का सार	निर्णयों से होने वाले लाभ एवं उपलब्धियाँ	समयावधि एवं निर्णय क्रियान्वयन पद्धति तथा उसकी रिपोर्टिंग
(1)	(2)	(3)	(4)
1	राज्य की उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से अन्नपूर्णा भण्डार योजना प्रारंभ करने बाबत।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक निजी सहभागिता के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की मल्टीब्राण्ड उपभोक्ता वस्तुऐं उचित एवं प्रतिस्पर्द्धी दरों पर आमजन को उपलब्ध हो सकेंगी।	उक्त योजना का क्रियान्वयन प्रशासनिक विभाग के निर्देशन में राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से किया जायेगा। प्रारंभ में उक्त योजना छः माह हेतु पायलट आधारित संचालित की जायेगी। योजना के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानदारों को देय कमीशन, उपभोक्ता को मिलने वाले लाभ व अन्य समस्त संबंधित कार्यों के लिये आपूर्ति निगम को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। पायलट आधारित योजना के सभी पहलुओं की समीक्षा व गुणावगुण के अध्ययन के पश्चात उक्त योजना को सम्पूर्ण राज्य में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

16/01/2015

(डॉ0 सुबोध अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव (खाद्य)